

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ‘माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट’, ‘माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्रतिदाय दावों के प्रसंस्करण, ‘बंधक लेखापरीक्षा एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण’ पर अनुपालन लेखापरीक्षा एवं 11 प्रस्तर शामिल है जिनका कुल ₹ 1,551.08 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, जिसमें से वाणिज्य कर विभाग एवं स्टाम्प एवं निबन्धन फीस विभाग द्वारा ₹ 80.87 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया है। अन्य विभागों के उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं। कुछ मुख्य निष्कर्षों को नीचे वर्णित किया गया है:

अध्याय-I: सामान्य

वर्ष 2020–21 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,96,176.33 करोड़ थी जिसमें से राज्य सरकार की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 1,31,743.45 करोड़ (44.48 प्रतिशत) थी। भारत सरकार ने ₹ 1,64,432.88 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 55.52 प्रतिशत) का योगदान दिया, जिसमें विभाज्य संघीय करों, शुल्कों का राज्यांश ₹ 1,06,687.01 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 36.02 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 57,745.87 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 19.50 प्रतिशत) शामिल था। वर्ष 2020–21 में पिछले वर्ष के सापेक्ष राज्य के अपने कर राजस्व में ₹ 72,787.46 करोड़ की कमी हुई।

वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व के विभिन्न लेखाशीर्ष (सारणी 1.2 एवं 1.3 देखें) के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता इंगित करती है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 1.2)

अध्याय-II: राज्य माल एवं सेवा कर

‘माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट’ पर अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकाश में आया:

60 करदाताओं ने निर्धारण आदेशों से ट्रान-1 (तालिका 5 सी) के माध्यम से ₹ 19.50 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया।

(प्रस्तर 2.1.8.1)

44 करदाताओं ने पिछले विरासत विवरणों से ₹ 10.09 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट को अग्रेन्ट किया।

(प्रस्तर 2.1.8.2)

ट्रान-1 में त्रुटिपूर्ण ढंग से दावा किये गये ₹ 1.45 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली नहीं की गयी।

(प्रस्तर 2.1.8.6)

12 करदाताओं ने ट्रान-1 में ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पूँजीगत वस्तुओं पर ₹ 5.09 करोड़ के गैर सत्यापित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया।

(प्रस्तर 2.1.9.3)

पूँजीगत वस्तुओं पर ट्रान-1 की तालिका 7 सी में ₹ 4.73 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी।

(प्रस्तर 2.1.11)

‘माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया’ पर अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकाश में आया:

11 करदाताओं में ट्रान—1 की तालिका 11 में ₹ 51.97 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का सत्यापन नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.12)

कर प्राधिकारी द्वारा दो वर्ष की प्रासंगिक अवधि के पश्चात प्रतिदाय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

(प्रस्तर 2.2.13)

करदाताओं के अभिलेखीय साक्षों का संज्ञान न लिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 72.80 लाख का अतिरिक्त/अनियमित प्रतिदाय दिया गया।

(प्रस्तर 2.2.14)

करदाता को एकीकृत माल एवं सेवा कर का अधिक प्रतिदाय के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 67.22 लाख के अधिक प्रतिदाय, ₹ 35.40 लाख ब्याज के साथ वसूलनीय था।

(प्रस्तर 2.2.15)

दो करदाताओं को त्रुटिपूर्ण ढंग से दावा की गई सेवाओं पर अधिक प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 26.56 लाख के ब्याज, ₹ 58.57 लाख का अधिक प्रतिदाय की वसूली की जानी चाहिये थी।

(प्रस्तर 2.2.21)

अध्याय-III: स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

‘बंधक विलेखों पर स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण और संग्रहण’ की अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकाश में आया:

सुरक्षित धनराशि ₹ दो करोड़ से दस करोड़ के मध्य वाले बंधक विलेखों (बिना कब्जा) पर ₹ 4.01 करोड़ का अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.4.5.1)

₹ दस करोड़ से अधिक की सुरक्षित धनराशि वाले बंधक विलेखों पर ₹ 225.31 करोड़ का स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का कम/अनारोपण किया गया।

(प्रस्तर 3.4.5.2)

बंधक विलेखों पर सुरक्षित राशि पर प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिये ₹ पाँच की दर से स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। यद्यपि, उप निबन्धक द्वारा स्टाम्प शुल्क की राशि को ₹ 5 लाख तक सीमित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.95 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 3.4.5.3)

लेखपत्रों को बंधक विलेखों के स्थान पर स्वत्व पत्रों के निष्केप के रूप में पंजीकृत किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.87 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 3.4.6)

लेखपत्रों को बंधक विलेखों के स्थान पर जमानती बॉड के रूप में पंजीकृत किया गया जिसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस में ₹ 1.44 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 3.4.7)

उत्तर प्रदेश शहरी, नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत एकत्र किये गये अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के लिये पृथक लेखांकन के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई पृथक उप शीर्ष नहीं खोला गया। अतः विभाग विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के स्थिति में नहीं था कि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी।

(प्रस्तर 3.4.8.1)

अन्य अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर

निष्पादनकर्ताओं द्वारा निबन्धन के हेतु प्रस्तुत लेखपत्रों में भूमि के पूर्ण/सहीं विवरण का उल्लेख नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.57 करोड़ की धनराशि के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 3.5)

निबंधनकर्ता प्राधिकारियों द्वारा भूमि की महत्ता एवं सेगमेन्ट/मुख्य सङ्कर की स्थिति को संज्ञान में नहीं लिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ की स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 3.6)

अध्याय-IV: खनन प्राप्तियाँ

विभाग ने पट्टाधारक द्वारा रायल्टी एवं अन्य देय राशियों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण पट्टे को तत्काल निरस्त नहीं किया जिससे ₹ 14.18 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 4.3)

वर्तमान नियामक ढाँचे के अन्तर्गत, चूँकि नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिये गये खनन क्षेत्रों के मामले में खनिज मूल्य को परिभाषित नहीं किया गया, यह जिला प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे खनिज मूल्य की गणना हेतु नीलामी के माध्यम से खोजे गये रायल्टी की दर या अध्याय-III की दरों को अपनायें। परिणामस्वरूप, पट्टाधारक ने वैध खनन के लिए देय राशि की तुलना में अवैध खनन के लिए कभी-कभी कम जुर्माना दिया, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिला।

(प्रस्तर 4.4)

पट्टेधारकों द्वारा प्रपत्र एमएम-11 के बिना खनिज के अवैध परिवहन के मामलों में ₹ 11.92 करोड़ के खनिजों का मूल्य आरोपित एवं वसूल नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.5)

जिला खान अधिकारियों ने रायल्टी एवं प्रतिभूति जमा के भुगतान में विलम्ब के लिये बोली गयी पूर्व बयाना राशि ₹ 3.51 करोड़ को जब्त नहीं किया।

(प्रस्तर 4.6)

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में देय अंशदानों को 39 खनन पट्टा विलेखों में प्रतिफल में सम्मिलित न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 4.85 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 1.10 करोड़ का निबन्धन फीस का कम आरोपण किया जाना।

(प्रस्तर 4.7)

दो जिला खनन कार्यालयों में नौ पट्टाधारक द्वारा ₹ 1.73 करोड़ की रायल्टी जमा नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.8)

अध्याय-V: अन्य राजस्व प्राप्तियाँ

(अ) वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा संचालित 174 बसों से अतिरिक्त कर ₹ 6.27 करोड़ का वसूल नहीं किया जाना।

(प्रस्तर 5.3)

(ब) राज्य आबकारी

सहायक आबकारी आयुक्त, रेडिको खेतान लिमिटेड, रामपुर, आबकारी अभिलेखों में दर्शायी गयी इनपुट आबकारी सामग्री के उपभोग की निगरानी आयकर विभाग में दाखिल विवरणी के साथ करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप वर्ष 2013–14 से 2019–20 की अवधि के दौरान ₹ 1,078.09 करोड़ (₹ 482.34 करोड़ के ब्याज सहित) के आबकारी राजस्व के इनपुट आबकारी सामग्री के उपभोग को कम करके दिखाने का पता नहीं चला।

(प्रस्तर 5.6)

विभाग द्वारा दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा सुनिश्चित करने में विफल रहा। इन्होंने नियमों के उल्लंघन पर व्यवस्थापन निरस्तीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूत जमा कुल धनराशि ₹ 11.05 करोड़ के सम्पर्क की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

(प्रस्तर 5.7)